FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
चेनाराम पुत्र नेमाराम जाति जाट आयु 37 वर्ष निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर राजस्थान बहैसियत आम मुख्त्यार रामरतन पुत्र श्री सुगनाराम जाति जाट निवासी मांझवास तहसील व जिला नागौर राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, नागौर।

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** ......12...... / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.01.2022	वकील प्रार्थी ने पुलिस थाना कोतवाली नागौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–421/2021 अधीन धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 मय टैंकर को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय नागौर को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत करावे। पत्रावली दिनांक 27.01.2022 को पेश हो। जिला कलेक्टर,नागौर	
27/1/2022	वकील प्रार्थी उप०। E-I श्री रामावतार पुनियां उप०। श्री कौशल सिंह अभियोजन अधिकारी उप०। अभियोजन अधिकारी ने आज केस डायरी प्राप्त नहीं होना जाहिर करते हुए एक अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 31/1/2022 को पेश हो। कलक्टर,नागौर	
31.1.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री कौशलसिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी एवं श्री शिवराम अभियोजन अधिकारी रसद विभाग उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 मय टेंकर का प्रार्थी आम मुख्तियार है तथा मूल स्वामी रामरतन पुत्र श्री सुगनाराम जाति जाट निवासी मांझवास द्वारा उक्त वाहन जरिये नीलामी के खरीद किया गया था, जिसकी एनओसी प्रार्थी के पास उपलब्ध है, जो आवेदन के संलग्न पेश की गई है। उक्त वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–421/2021 पुलिस थाना कोतवाली नागौर प्रकरण में	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
चेनाराम V/s सरकार फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
लगातार 31.1.22	पुलिस थाना कोतवाली नागौर द्वारा जब्त किया हुआ है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दावेदार नहीं है, प्रार्थी ही इस वाहन का दावेदार है। उक्त वाहन थाना कोतवाली नागौर में देखरेख के अभाव मे पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। पुलिस थाना कोतवाली नागौर को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त वाहन ही है, जिसके अभाव में प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा के उक्त वाहन सुपुर्द किया जाना उचित व न्याय संगत है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने का तत्पर होने का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक–31.1.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 से अनुसंधान शेष नहीं होना एव ना ही अनुसंधान में आवश्यकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में उक्त जब्तशुदा वाहन का मालिक के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रार्थी के नाम नहीं है। उक्त जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 में अलग–अलग क्षमता की 13 प्लास्टिक की टंकियां पाई गई जिसमें भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डीप रॉड से मापन करने पर 1000 लीटर क्षमता की 3 भरी हुई टंकियों में 950–950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2850 लीटर व एक 2000 लीटर क्षमता की भरी हुई प्लास्टिक की टंकी में 1850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया उक्त ट्रक में 1000 लीटर क्षमता की 8 खाली टंकिया व 2000 लीटर क्षमता की एक खाली टंकी पाई गई। इस प्रकार उक्त ट्रक में कुल 4700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044, पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य वाहन, ड्रम, प्लास्टिक की टंकिया आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–102/2021 सरकार बनाम चेनाराम, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर की रिपोर्ट दिनांक–31.1.2022 के अनुसार प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 से अनुसंधान शेष नहीं होना एव ना ही अनुसंधान में आवश्यकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में उक्त जब्तशुदा वाहन का मालिक के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रार्थी के नाम नहीं है। उक्त जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044 में अलग–अलग क्षमता की 13 प्लास्टिक की टंकियां पाई गई जिसमें भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डीप रॉड से मापन करने पर 1000 लीटर क्षमता की 3 भरी हुई टंकियों में 950–950 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2850 लीटर व एक 2000 लीटर क्षमता की भरी हुई प्लास्टिक की टंकी में 1850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त ट्रक में 1000 लीटर क्षमता की 8 खाली टंकिया व 2000 लीटर क्षमता की एक खाली टंकी पाई गई। इस प्रकार उक्त ट्रक में कुल 4700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से भरा हुआ पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या यूपी 92 टी 9044, पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य वाहन, ड्रम, प्लास्टिक की टंकिया आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या–102/2021 सरकार बनाम चेनाराम, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 102/2021 के साथ नत्थी हो। (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, नागौर	